अनुदान संख्या 93 - पर्यटन मंत्रालय
GRANT No. 93–MINISTRY OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–			338,95,00	317,58,93	–21,36,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,61,98
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	489,25,00		501,26,00	482,68,36	–18,57,64
पूरक	Supplementary	12,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					11,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3452" पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	32803.00	33026.02	31587.56	–1438.46
पु.	R.	223.02			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	900.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–900.00			

(I) 900.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552''- ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3452'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''निदेशन और प्रशासन''-

(क) ''पर्यटन महानिदेशालय''- 234.77 लाख रु. की बचत (2586.25 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से सूचना और प्रौद्योगिकी प्रस्ताव अधूरे प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) ''विदेश स्थित पर्यटक कार्यालय''- 252.66 लाख रु. की बचत (2027.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, संतान शिक्षा भत्ते और छुट्टी यात्राा रियायत के कम दावे होने तथा किराए में संशोधन न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''प्रशिक्षण - सेवा उपलब्ध कराने वालों के लिए क्षमता निर्माण''- 1245.67 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के मार्गनिर्देशों को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश संबंधी आय की वापसी के संबंध में प्रावधान'' - 227.58 लाख रु. की बचत (239.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश संबंधी आय की वापसी के कुछ विवादास्पद और निर्णयाधीन मामलों का निपटान न होने के कारण हुई।

(ख) ''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - आंतर पर्यटन परियोजना''- 252.55 लाख रु. की बचत

(I) Provision of Rs.900.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure - Lumpsum Provision for Projects/Schemes of N E Region and Sikkim" - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "3452" – "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration"-

(a) "Directorate General of Tourism" - saving of Rs.234.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2586.25 lakhs) was due to receipt of incomplete Information and Technology proposals from the State Governments.

(b) "Tourist Offices Abroad" - saving of Rs.252.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2027.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less claim of children education allowance and leave travel concession and non-revision of rent.

(B) "Training - Capacity Building for Service Provider" - saving of Rs.1245.67 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to late approval of guidelines for the scheme.

(C) "Other Expenditure"-

(a) "Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC"- saving of Rs.227.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.239.00 lakhs) was due to non-settlement of some disputed and subjudice cases of refund of disinvestment proceeds for India Tourism Development Corporation.

(b) "UNDP-Endogenous Tourism Project" - saving of Rs.252.55 lakhs (against the

(325.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्रों के प्राप्त न होने और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दावे प्रस्तुत न किए जाने के कारण थीं।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 78.15 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3452" - "सामान्य - संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 1181.18 लाख रु. का अधिक व्यय (21030.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समुद्रपार संगठित और सुदृढ़ संवर्धनात्मक अभियान चलाए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (1857.64 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 1201.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

sanctioned provision of Rs.325.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates and non-submission of the claims by UNDP.

(III) Under one head saving of Rs.78.15 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3452" - "General - Promotion and Publicity - Direct Expenditure" - excess of Rs.1181.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21030.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for concerted and rigorous promotional campaigns overseas and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to the functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.1857.64 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.1201.00 lakhs obtained in March, 2006 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	7000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–7000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5452'' पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	41575.00			
पू.	S.	1201.00	49026.00	48268.36	–757.64
पु.	R.	6250.00			
मुख्य शीर्ष "7452'' पर्यटन के लिए कर्ज	Major Head "7452" Loans for Tourism				
मू.	O.	350.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–350.00			

(I) 8350.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान''- 7000.00 लाख रु. निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "5452'' - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - पर्यटन अवसंरचना विकास निधि''- 1000.00 लाख रु. योजना आयोग के अनुमोदन से स्कीमों को रद्द किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "7452'' - "अन्य - अन्य कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के संबंध में भारतीय पर्यटन विकास निगम को कर्ज''- 350.00 लाख रु. भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पर व्यय को अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5452'' - "पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) Provision of Rs.8350.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" - "Other Expenditure– Lumpsum Provision for Projects/Schemes of the NE Region and Sikkim" - Rs.7000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to the functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation- Tourism Infrastructure Development Fund" - Rs.1000.00 lakhs - due to dropping of the schemes with approval of Planning Commission.

(C) Major Head "7452" - "Others - Others Loans - Loan to ITDC on VRS" - Rs.350.00 lakhs - due to meeting of expenditure on Voluntary Retirement Scheme by India Tourism Development Corporation from its internal resources.

(II) Under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''पर्यटन केंद्र - बौद्ध केंद्र (बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं सहित) 753.83 लाख रु. की बचत (1075.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बौद्ध सर्किट की उत्तर प्रदेश (चरण-II) परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''पर्यटक आवास - अधिक राजस्व जुटाने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता''- 2071.50 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निजी सार्वजनिक भागीदारी के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी स्कीमों/दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10070.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसाकि मुख्य शीर्ष ''5452'' - ''पर्यटक अवसंरचना - पर्यटक आवास - गंतव्य और सर्किटों संबंधी उत्पाद/अवसंरचना का विकास'' के अंतर्गत 1201.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 9317.69 लाख रु. था।

(A) "Tourist Centres - Buddhist Centres (including Externally Aided Projects)" - saving of Rs.753.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1075.00 lakhs) was due to delay in appointment of consultant for Uttar Pradesh (Phase II) project of Buddhist Circuit.

(B) "Tourist Accommodation - Asistance For Large Revenue generating Projects" - saving of Rs.2071.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to revision of schemes/guidelines for implementation of projects under Private Public Partnership.

4. The above savings were partly (Rs.10070.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.1201.00 lakhs under Major Head "5452" - "Tourist Infrastructure - Tourist Accommodation– Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits". Actual excess, however, was Rs.9317.69 lakhs.